

न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी

मु०न० ०५/२०१६

स्टेट.....

बनाम श्री राजू पुजा मन्द शर्मा गुप्ताई

सा० चन्द्रधर... तह. रावतसर

निर्णय दिनांक २६/१/१६

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी चन्द्रधर... ने रिपोर्ट की है कि खसरा न० १००३/५८१ रकबा ०:२५९... गौचर/जोहड़पायतान/रकबा राज/सिवाय चक परफसल खरीफ... में नाजायज काश्त की है।

रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के काश्तकारी अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया। अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन,मनन एवम् विवेचन करने पर पाया कि अप्रार्थी अतिक्रमी है। इस लिये काश्तकारी अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा दण्डस्वरूप सामान्य भूराजस्व का ५० गुणा तावान ६० रूपये... मात्र कायम किया जाता हैं।

रजिस्टर में मांग कायमी हेतु टी०आर०ए० को लिखा जावे तथा भू-राजस्व निरीक्षक को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षेत्र में बोई गई फसल की निलामी कर,निलामी फर्द पेश करें। हल्का पटवारी को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षेत्र से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करें तथा तावान की राशि वसूल करें।

निर्णय आज दिनांक २६/१/१६ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

घ' रजिस्टर के पेज नम्बर १६ की क्रम संख्या १५ पर त्तान गकुम/निलामी Rs. ३०० दर्ज किया गया।

TRA

पंजीयक

पल्लू